पर्यावरण पहलुओं के संबंध में छमाही प्रगति रिपोर्ट

(पर्यावरण स्वीकृति पत्र के शर्तो के अनुसार)

(सितंबर, 2022 को समाप्त अवधि तक)

1	परियोजना का नाम	सेवा पावर स्टेशन चरण-II (120 मेगा वाट)
2	परियोजना की किस्म	जल-विद्युत् परियोजना
3	स्वीकृति पत्र - कार्यालय ज्ञापन संख्या और दिनांक क) पर्यावरण संबंधी स्वीकृति ख) वन संबंधी स्वीकृति	क) सं. जे-12011/38/2001-आईए-आई, दिनांक 7.3.2003 ख) i) 2003 का 393 एफएसटी, दिनांक 25.8.2003 ii) 2004 का 443 एफएसटी, दिनांक 11.10.2004 iii) 2006 का 567 एफएसटी, दिनांक 26.10.2006 iv) 2008 का 207 एफएसटी, दिनांक 27.05.2008
4	स्थान क) जिला (जिले) ख) राज्य ग) अक्षांश घ) देशांतर	(क) कठुआ (ख) केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर (ग) 32^0 36' 38'' उ0 से 32^0 41' 00'' उ0 (घ) 75^0 48' 46'' पू0 से 75^0 55' 38'' पू0
5	पत्र-व्यवहार का पता क) संबंधित परियोजना प्रमुख का पता (पिन कोड और टेलीफोन/ फैक्स नम्बर सहित) ख) निगम मुख्यालय में संबंधित विभागाध्यक्ष का पता (पिन कोड और टेलीफोन/फैक्स नम्बर सहित)	(क) ग्रुप-महाप्रबंधक, सेवा-II पॉवर स्टेशन, मशका, जिला कठुआ (केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर) टेलीफोन नं: 01899-263291 (ख) कार्यपालक निदेशक, पर्यावरण और विविधिता प्रबंधन विभाग, एन.एच.पी.सी. कार्यालय परिसर, सेक्टर 33, फरीदाबाद-121 003 दूरभाष नं. 0129-2278014 ईमेल: envdivmgn-co@nhpc.nic.in
6	पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं का विवरण	पर्यावरण प्रबंधन योजनाए निम्न हैं: • जलग्रहण क्षेत्र उपचार • क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना • जैव विविधता संरक्षण योजना • हरित पट्टी का विकास • जलाशय रिम योजना • खदान स्थलों का पुनरुद्धार • मलबे का निपटान • निशुल्क ईंधन की व्यवस्था • स्वास्थ्य प्रबंधन योजना • आपदा प्रबंधन योजना

<table>
<tr><td></td><td></td><td>• पर्यावरण मानीटरिंग योजना
• पुनर्वास और पुनर्स्थापन
• मात्स्यकी विकास योजना</td></tr>
<tr><td>7</td><td>परियोजना क्षेत्र का विवरण
(भूमि का विवरण)
क) जलमग्न क्षेत्र: (वन क्षेत्र और गैर-वन क्षेत्र)
ख) अन्य</td><td>(क) i) वन भूमि : 9.74 हैक्टेयर
ii) गैर-वन भूमि : 34.88 हैक्टेयर
(ख) i) वन भूमि : 35.5525 हैक्टेयर
ii) गैर-वन भूमि : 33.066 हैक्टेयर
कुल भूमि – 112.801 हैक्टेयर</td></tr>
<tr><td>8</td><td>जिन लोगों ने केवल घर/निवास खोए हैं, केवल कृषि भूमि खोई है, निवास और कृषि भूमि दोनों खोए हैं तथा भूमिहीन मजदूरों/दस्तकारों की गणना सहित परियोजना से प्रभावित आबादी का विवरण

क) अनु.जा./अनु.ज.ज./आदिवासी
ख) अन्य</td><td>प्रभावित परिवारों की कुल संख्या : 223
जिन परिवारों ने घर और भूमि खोई है: 68
(पूर्णतया प्रभावित)
जिन परिवारों ने केवल भूमि खोई है : 155 (आंशिक रूप से प्रभावित)

<table><tr><td></td><td>पूर्ण प्रभावित</td><td>आंशिक प्रभावित</td><td>कुल</td></tr><tr><td>क</td><td>11</td><td>14</td><td>25</td></tr><tr><td>ख</td><td>49+8=57</td><td>141</td><td>198</td></tr><tr><td></td><td>68</td><td>155</td><td>223</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>9</td><td>वित्तीय ब्यौरा
क) परियोजना की लागत, जैसीकि आरम्भ में आयोजना की गई थी, और बाद के संशोधित अनुमान तथा मूल्य संदर्भ का वर्ष

ख) परियोजना पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च

ग) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं के लिए किए गए आवंटन

घ) पर्यावरण प्रबंधन योजनाओं पर अब तक हुआ वास्तविक खर्च</td><td>क) रु. 665.46 करोड़ जिसमें सितम्बर, 2002 मूल्य स्तर पर रु. 68.42 करोड़ का आई.डी.सी. शामिल है।
संशोधित लागत अनुमान : रु. 1091.63 करोड़, मार्च, 2013 मूल्य स्तर पर

ख) रु. 1091.63 करोड़ (ऊर्जा मंत्रालय को प्रस्तुत संपादन मूल्य)

ग) रु. 15.64 करोड़ (पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए 11.99 करोड़ रुपये और आर. एण्ड आर. के लिए 3.65 करोड़ रुपये)

घ) रु. 1183.79 लाख (सितंबर, 2022 तक) (संलग्नक-I)

<table><tr><th>क्रम सं.</th><th>पर्यावरण प्रबंधन योजना</th><th>आवंटित राशि (लाख रु)</th><th>खर्च (लाख रु)</th></tr><tr><td>1</td><td>जलग्रहण क्षेत्र उपचार</td><td>600.00</td><td>600.00</td></tr><tr><td>2</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण</td><td>15.00</td><td>12.17</td></tr><tr><td>3</td><td>जैवविविधता संरक्षण योजना</td><td>120.00</td><td>96.83</td></tr><tr><td>4</td><td>हरित पट्टी योजना</td><td rowspan="2">80.00</td><td rowspan="2">79.26</td></tr><tr><td>5</td><td>जलाशय किनारा योजना</td></tr></table></td></tr>
</table>

		6	खदान क्षेत्रों का पुनरुद्धार	50.00	-
		7	मक डम्पिंग स्थलों का पुनर्स्थापन	50.00	2.00
		8	मुफ्त ईंधन की व्यवस्था	50.00	45.67
		9	स्वास्थ्य एवं स्वच्छता योजना	50.00	15.17
		10	आपदा प्रबंधन योजना	100.00	0.24
		11	पर्यावरण निगरानी योजना	60.00	8.09
			कुल योग (क)	**1199.00**	**859.43**
		11	पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना – मकान व ढाँचे की क्षतिपूर्ति	257.00	146.08
			पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना – आर & आर पैकेज	108.00	153.28
			उप - योग (ख)	**365.00**	**299.36**
		12	मत्स्य जीविका योजना	65.00	30.00
			कुल योग (क+ख)	**1629.00**	**1183.799**
10	वन भूमि की आवश्यकताएं क) वन भूमि को गैर-वन भूमि के रूप में उपयोग के लिए अनुमोदन की स्थिति ख) वन भूमि में पेड़ों के कटने के संबंध में स्थिति		क) 48.976 हेक्टेयर वन भूमि का अपवर्तन किया गया जिसमे 10.14 हे. भूमिगत कार्यों के लिए ली गई। HRT के realignment (भूमिगत कार्यों) के लिए 0.36 हेक्टेयर वन भूमि के लिए वन मंजूरी चरण- I को 04.05.2021 को प्राप्त किया गया था। ख) कुल 883 पेड़ काटे गए		
11	निर्माण की स्थिति क) आरम्भ करने की तारीख ख) पूरा होने की तारीख		सितंबर, 2003 (वास्तविक) वास्तविक पूरा होने की तारीख : जुलाई 24, 2010		
12	विलम्ब के कारण, यदि परियोजना अभी आरम्भ की जानी है		लागू नहीं		
13	स्थल के दौरों का ब्यौरा क) मानीटरिंग समिति द्वारा ख) क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा		7वीं बहुविधा मानीटरिंग समिति की बैठक 15-16 मार्च 2013 को सम्पन्न हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि चूंकि पर्यावरण प्रबंधन से संबंधित सारे कार्य लगभग सम्पन्न हो गए हैं एवं परियोजना 2010 में चालू हो चुकी है, भविष्य में बहुविधा मानीटरिंग समिति की मोनिटरींग की कोई आवश्यकता नहीं है। --		
14	पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में संक्षिप्त नोट		संलग्नक-I के रूप में संलग्न।		

संलग्नक-I

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार के स्वीकृति पत्र संख्या J-12011/38/2001–IA-I दिनांक 07.03.2003 में निर्धारित शर्तों के अनुपालन के संबंध में स्थिति ।

भाग क : विशिष्ट शर्तें

क्र. स.	विशिष्ट शर्तें	अनुपालन की स्थिति
i.	गट्टी और माश्का के 2 गांवों के 86 परिवार प्रभावित होंगे। प्रभावित परिवारों का पुनर्वास राज्य सरकार के पत्र स..LAJ266 दिनांक 2002/12/27 द्वारा अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के अनुसार किया जाना चाहिए। प्रभावित आबादी की आर्थिक पुनर्वास व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे मधुमक्खी पालन, खरगोश पालन, मुर्गी पालन व रेशम उत्पादन गतिविधियों के माध्यम से किया जाना चाहिए।	अनुमोदित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के अनुसार भुगतान / कार्य पूरा हो चुका है। हालांकि, आंशिक रूप से प्रभावित परिवारों को मुआवजे का भुगतान राज्य सरकार के पास जमा किया गया था जो कि कलेक्ट्रेट के पास लंबित है।
ii.	भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना प्रभावित परिवारों के लिए मुआवज़ा 15% से बढ़ा कर 30% कर दिया गया है ।	शर्त का अनुपालन किया जा चुका हैं।
iii.	3256 हे. गंभीर डीग्रेडेड भूमि और अति गंभीर डीग्रेडेड भूमि का जलग्रहण क्षेत्र उपचार योजना के प्रस्ताव के अनुसार चार वर्षों में सम्पूर्ण होना हैं ।	शर्त का अनुपालन किया जा चुका हैं।
iv.	औषधीय पौधों का संरक्षण राज्य सरकार द्वारा स्थापित निगरानी समिति के साथ परामर्श करके ही प्रस्ताव के अनुसार किया जाना हैं ।	परियोजना क्षेत्र में दो जैवविविधता संरक्षणशालाओं का विकास किया गया है। कार्य पूरे किए जा चुके है।
v.	परिवेश क्षेत्र गुणवत्ता, शोर के स्तर पर और भूमिगत जल की गुणवत्ता, जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) और सतह के पानी की कॉलिफोर्म गणना के बुनियादी डाटा की समय-समय पर निगरानी और रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए ।	शर्त का अनुपालन किया जा रहा हैं।
vi.	सूखे मौसम के दौरान बांध के तुरंत नीचे की ओर पूल में पानी की न्यूनतम प्रवाह 6 क्यूसेक होना चाहिए।	शर्त का अनुपालन किया जा रहा हैं।

भाग ख : सामान्य शर्तें

क्र. स.	सामान्य शर्तें	अनुपालन की स्थिति
i.	निर्माण-कार्य में लगे श्रमिकों के लिए परियोजना लागत पर पर्याप्त निशुल्क ईंधन की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि वृक्षों की अवैध कटाई को रोका जा सके।	परियोजना का निर्माण पूरा हो गया हैं । शर्त का अनुपालन किया जा चुका हैं।
ii.	ईंधन (मिट्टी का तेल/एलपीजी) मुहैया करने के लिए कार्यस्थल पर ईंधन डिपो खोला जाए। श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं	परियोजना का निर्माण पूरा हो गया हैं । शर्त का अनुपालन किया

	और मनोरंजन सुविधाएं भी मुहैया की जानी चाहिएं।	जा चुका हैं।
iii.	निर्माण कार्यों के लिए लगाए जाने वाले सभी मजदूरों को अच्छी तरह से स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा जांच की जाए और परमिट काम जारी करने से पहले पर्याप्त रूप से उनका इलाज किया जाना चाहिए।	परियोजना का निर्माण पूरा हो गया हैं । शर्त का अनुपालन किया जा चुका हैं।
iv.	खुदाई सामग्री की डंपिंग साइट सहित निर्माण क्षेत्र की बहाली को समतलीकरण, गड्ढों को भरने, लैंड स्केपिंग आदि से ठीक करना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। क्षेत्र को उपयुक्त तरीके से तथा उचित बागवानी के साथ उपचार किया जाना चाहिए।	कार्य समाप्त हो चुका हैं।
v.	ऊपर सुझाए गए उपायों को कार्यान्वित करने के लिए परियोजना के कुल बजट में वित्तीय प्रावधान किया जाना चाहिए।	वित्तीय प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित किया गया ।
vi.	सुझाए गए रक्षोपायों के कारगर कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए वनविद्या, पारिस्थितिकी, वन्य जीव, मृदा संरक्षण की विभिन्न विधाओं और गैर-सरकारी संगठन आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक बहुविधा समिति गठित की जानी चाहिए।	अनुपालन किया जा चुका है।
vii.	छमाही मानीटरिंग रिपोर्टें समीक्षा के लिए मंत्रालय ओर चंडीगढ़ स्थित उसके क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत की जानी चाहिएं।	शर्तका अनुपालन किया जा रहा है। छमाही प्रगति रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जा रहा है।

----------समाप्त----------

नोट: यह रिपोर्ट वन एवं पर्यावरण मंत्रालय को संबंधित अवधि के लिए भेजे गए अंग्रेजी के रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद है। भावार्थ में कहीं भी संदेह की स्थिति में अंग्रेजी रिपोर्ट के अर्थ को ही अंतिम माना जाए।